

183/2015

उनवान

बनौ जल पिला पत्ता बलाई निः बजलोदिघा तः बनेडा जिला भीला

(प्रार्थीगण)

		बनाम
राजसूय नं०	शायमल बलाई	निः कमलपुरा तः बनेडा
राजसूय नं०	होसम बलाई	निः _____
राजसूय नं०	होसमा बलाई	निः _____
राजसूय नं०	मगना लदीक	निः _____

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 24-6-16

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 8-3-16 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत् 2071 से 2074 की जमाबंदी के तहत उनके ग्राम कमलपुरा पटवार क्षेत्र चमनपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मुहकालुडी तहसील बनेडा की कृषि भूमि खाता संख्या 69 के आ0न0 264

कुल किता 1 कुल रकबा 1-01 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन का संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केंद्र मुकाम चमनपुरा में दिनांक 24-6-16 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर कोई आपत्ति नहीं होने बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नहीं होने से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

ग्राम कमलपुरा पटवार क्षेत्र चमनपुरा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मुहकालुडी तहसील बनेडा की कृषि भूमि खाता संख्या 69 के आ0न0 264

कुल किता 1 कुल रकबा 1-01 बीघा की पत्थरगढी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेडा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0नि0 की कमिश्नर फीस 300/- रुपये पत्थरगढी के समय तक पत्र जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-6-16 को राजस्व लोक अदालत केंद्र चमनपुरा में सरे इजलास सुनाया गया।